गन्ने का उत्पादन

4439. श्री राम जेठमलानी :

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस समय गन्ने के उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के बजाए इसकी प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता अधिक है क्योंकि उत्पादन मात्रा बढ़ाने से चीनी का उत्पादन भी बढ़ेगा, जबकि उत्पादन दर बढ़ाने से चीनी उत्पादन लागत में कमी आयेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि चीनी की उच्च उत्पादन लागत के कारण इसका निर्यात अलाभकारी हो गया है और इसके परिणामस्वरूप 1992-93 में देश को लाखों रुपए की हानि उठानी पड़ी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने देश में गन्ने के विकास के लिए उपकर लगाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस तरह प्रति वर्ष कितनी धनराशि वसूल की जानी है और गन्ने की उत्पादन-दर में वृद्धि करने के लिए इन निधियों को खर्च करने के संबंध में सरकार ने क्या-क्या योजनाएं बनायी हैं और 1989-90 से 1992-93 तक उत्पादन-दर में कितनी वृद्धि संभव हो सकी है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) गन्ने के क्षेत्र में विकासात्मक नीतियों का लक्ष्य प्रति हैक्टेयर के आधार पर गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि करना रहा है।

(ख) और (ग) चीनी की उत्पादन लागत अलग-अलग कारखानों में अलग-अलग होती है जो उनके द्वारा अदा किए गए गन्ने के मूल्य तथा चीनी कारखाना की तकनीकी-प्रबंधकीय दक्षता पर आधारित होता है। चीनी का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य मांग तथा आपूर्ति सहित बाजार के विभिन्न तत्वों पर निर्भर होता है। वर्ष 1992-93 के दौरान चीनी के निर्यात में हुए नुकसान का पता, यदि कोई हो, चीनी वर्ष 1992-93 की समाप्ति के बाद ही चलेगा।

(घ) चीनी मिलों को, मिलों के आधुनिकीकरण, मिल क्षेत्र में गन्ने के विकास के लिए ऋण देने तथा चीनी उद्योग के विकास के प्रयोजनार्थ अनुसंधान कार्यों के लिए अनुदान देने के लिए, भारत के प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित सभी प्रकार की चीनी पर उपकर एकत्र किया जा रहा है।

(ङ) वर्ष 1989-90 के दौरान एकत्र की गई राशि निम्नवत् है :-

क्रम संख्या	वर्ष	एकत्र की गई राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	1989-90	135.00
2.	1990-91	148.31
3.	1991-92	161.36
4	1992-93	145.13

यह कोष खाद्य मंत्रालय द्वारा रखा जाता है एवं उसके द्वारा उसका संचालन किया जाता है। इस कोष में से मिल क्षेत्र में गन्ना विकास के विभिन्न घटकों जैसे हीट-ट्रीटमेंट संयंत्रों की स्थापना करने, बीज नर्सरियां तैयार करने, गन्ने की उन्नत किस्मों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने तथा लघु एवं गौण सिंचाई सुविधाएं आदि के लिए ऋण दिया जाता है।

गन्ने का उत्पादन 1989–90 के 225.57 मिलियन मीटरी टन से बढ़कर 1991–92 के दौरान 249.25 मिलियन मीटरी टन हो गया है। फिर भी, 1992–93 के दौरान 239 मिलियन मीटरी टन उत्पादन होने की आशा है। गन्ने के उत्पादन में कमी आने का मुख्य कारण गन्ना उत्पादक कुछ राज्यों में सूखे जैसी स्थिति का बना रहना है।

भारतीय खाद्य निगम को दी गई राजसहायता

4440. श्री राम जेठमलानी: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को दी जाने वाली राजसहायता की मात्रा में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990–91, 1991–92 और 1992–93 के दौरान कितनी-कितनी राजसहायता दी गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1992–93 को छोड़कर उक्त वर्षों के दौरान खाद्यान्नों को खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न भण्डारण, खाद्यान्न खरीद, उसके लाने ले जाने, रख-रखाव और अन्य प्रशासनिक व्ययों में उक्त वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी वृद्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम की कार्यकुशलता बढ़ाने और उपर्युक्त खर्चों को कम करने के लिए सरकार को इस आशय का कोई सुझाव मिला है कि निजी क्षेत्र को भी खाद्यान्न भण्डारण, उसे लाने ले जाने और सरकारी दर पर खाद्यान्नों की खरीद की व्यवस्था करने में भागीदार बनाया जाये; और

(छ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) और (ख) 1990–91, 1991–92 और 1992–93 के पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार ने खाद्य राजसहायता के प्रति निम्नलिखित धनराशियां भारतीय खाद्य निगम को अदा/निर्मुक्त की थीं:–

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपये में)
1990–91	2142
1991–92	2850
1992–93	2785

(ग) चूंकि केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं, धान और मोटे अनाजों की वसूली मूल्य समर्थन योजना के अधीन पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है और मिल मालिकों/व्यापारियों से लेवी चावल की वसूली उनके द्वारा खरीदी गई धान की मात्रा पर निर्भर करती है, इसलिए खाद्यान्नों की वसूली करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की वसूली करता है और वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जवाहर रोजगार योजना, आदि के अधीन खाद्यान्न जारी करने के लिए उपभोक्ता इलाकों को स्टाक भेजता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा ढुलाई पर किए गए